

30.1.24

रीडर

बकुलाय पक्षकारान सम्बन्धित / पीठासीन
अधिकारी ~~अन्य राजकार्य~~ के
होने से प्रकरण दिनांक 2/4/24
को पेश हों।

आज्ञा से



रीडर

2.4.24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता (अडवोकेट)

प्रकरण प्रतिवादीगण की तामिल हेतु नियत होकर
वादी को पूर्व में तामिल हेतु पूर्व में अंतिम अवसर
दिया गया। वातजूद इसके वादी द्वारा सम्मन प्रोप्रेस प्रस्तुत
नहीं किए एवं ना ही आज उपस्थित हुआ है। -आयालय
द्वारा कक-कक कर तीन बार आवाज लगावाई गई।
वातजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही -आयालय
समय समाप्ति तक उपस्थित हुआ। जिससे यह जाहिर
होगा है कि वादी अपने वाद के प्रति जेभीर नहीं है
व वाद चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी आ वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत
अदम हाजरी - अदम फेरवी में वारिज किया जाता
है। निर्णय सरे उजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम
है।



(रियासबी)

JAS

उपखण्ड अधिकारी
गिरा, उदयपुर